

बिन्दु (viii) बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं।

- मण्डल/जिला सूचना कार्यालयों में परामर्श देने के उद्देश्य से कोई भी कमेटी, बोर्ड या अन्य संस्था गठित नहीं है।